भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4350

26 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण योजना

4350. कु. सुधा आर.:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की वर्षवार संख्या कितनी है;
(ख) उक्त योजना के अंतर्गत संवितरण का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ग) अन्य राज्य के उन लाभार्थियों की संख्या कितनी है जिन्होंने उक्त योजना के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में सामग्री प्राप्त की;
(घ) उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को वितरित की गई सामग्री की मात्रा और ब्यौरा क्या है और तमिलनाडु राज्य को यदि कोई मुआवजा दिया गया है, उसका ब्यौरा क्या है; और
(ड.) तमिलनाडु में उन पंजीकृत लाभार्थियों, जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत अन्य राज्यों में सामग्री प्राप्त की, का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत वर्तमान में, 81.35 करोड़ व्यक्तियों की कुल कवरेज की तुलना में 80.56 करोड़ व्यक्ति निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं। पिछले दो वर्षों में लाभार्थियों की संख्या के तुलनात्मक आंकड़े निम्नानुसार है:

	फरवरी 2025 तक	**दिनांक 31.03.2024 तक**	**दिनांक 31.03.2023 तक**
लाभार्थियों की संख्या (करोड़ में)	80.56	80.49	80.10

(ख): एनएफएसए के तहत वर्षवार और राज्यवार वितरण का ब्यौरा **अनुबंध-I** में है।

(ग): अगस्त 2019 से तमिलनाडु में प्रवासी लाभार्थियों को कुल 36.6 टन खाद्यान्न वितरित किया गया।

(घ) और (ङ): अगस्त 2019 से तमिलनाडु के प्रवासी लाभार्थियों को कुल 158.1 टन खाद्यान्न वितरित किया गया। विवरण **अनुबंध-II** में है।

******

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 26.03.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4350 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एनएफएसए के तहत वर्षवार और राज्यवार वितरण का ब्यौरा

(मात्रा टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2023	2024	2025 (फरवरी 2025 तक)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4,231	4,236	708
2	आंध्र प्रदेश	17,37,063	17,42,767	2,93,254
3	अरुणाचल प्रदेश	50,190	51,783	3,717
4	असम	11,99,564	14,90,491	2,63,237
5	बिहार	52,14,677	50,28,598	8,20,199
6	छत्तीसगढ	13,38,063	13,41,737	2,23,132
7	दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	15,881	16,810	2,922
8	दिल्ली	4,73,472	5,28,397	92,701
9	गोवा	29,690	29,193	4,875
10	गुजरात	21,35,677	21,91,020	3,71,640
11	हरियाणा	7,69,482	10,46,118	1,86,555
12	हिमाचल प्रदेश	1,97,555	1,80,683	26,839
13	जम्मू और कश्मीर	4,18,920	4,25,088	77,682
14	झारखंड	16,25,601	16,36,927	2,74,242
15	कर्नाटक	24,93,936	24,97,515	4,17,588
16	केरल	9,79,657	9,96,834	1,59,701
17	लद्दाख	7,803	7,752	1,286
18	लक्षद्वीप	611	1,324	222
19	मध्य प्रदेश	32,06,221	33,46,949	5,69,194
20	महाराष्ट्र	40,21,960	41,75,930	7,05,241
21	मणिपुर	27,919	-	-
22	मेघालय	1,24,324	1,26,222	19,075

23	मिजोरम	46,379	46,687	4,002
24	नागालैंड	71,297	72,084	11,255
25	ओडिशा	22,18,710	22,23,767	3,67,428
26	पंजाब	6,37,593	8,77,366	1,29,861
27	राजस्थान	26,07,589	25,65,551	4,07,810
28	सिक्किम	17,577	19,770	3,046
29	तमिलनाडु	23,70,942	23,39,331	3,86,798
30	तेलंगाना	12,07,709	12,25,778	2,06,099
31	त्रिपुरा	1,60,174	1,61,241	26,769
32	उत्तर प्रदेश	94,48,792	94,23,899	15,71,661
33	उत्तराखंड	3,26,298	3,70,387	63,541
34	पश्चिम बंगाल	38,50,869	38,79,660	6,45,444
	कुल योग	**4,90,36,431**	**5,00,71,894**	**83,37,723**

*** चंडीगढ़ और पुडुचेरी डीबीटी हैं और मणिपुर ने मई 2023 से वितरण डेटा की रिपोर्ट नहीं दी है**

लोक सभा में दिनांक 26.03.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4350 के भाग (घ और ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अगस्त 2019 से तमिलनाडु का अंतर-राज्यीय खाद्यान्न वितरण (किलोग्राम में)			
क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र	तमिलनाडु के लाभार्थियों ने अन्य राज्यों में राशन का लाभ उठाया	अन्य राज्यों के लाभार्थियों ने तमिलनाडु में राशन का लाभ उठाया
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,461	-
2	आंध्र प्रदेश	70	257
3	अरुणाचल प्रदेश	-	-
4	असम	-	139
5	बिहार	889	30,250
6	चंडीगढ़	-	-
7	छत्तीसगढ़	30	186
8	दमन और दीव	-	-
9	दिल्ली	23,161	205
10	गोवा	590	-
11	गुजरात	883	-
12	हरियाणा	135	73
13	हिमाचल प्रदेश	-	-
14	जम्मू और कश्मीर	40	90
15	झारखंड	-	1,303
16	कर्नाटक	1,565	437
17	केरल	83,260	237

18	लद्दाख	-	-
19	लक्षद्वीप	-	-
20	मध्य प्रदेश	355	62
21	महाराष्ट्र	41,953	457
22	मणिपुर	-	-
23	मेघालय	-	-
24	मिजोरम	-	-
25	नगालैंड	-	-
26	ओडिशा	-	-
27	पुदुचेरी	-	-
28	पंजाब	45	-
29	राजस्थान	350	400
30	सिक्किम	-	-
31	तेलंगाना	2,390	-
32	त्रिपुरा	-	5
33	उत्तराखंड	150	-
34	उत्तर प्रदेश	465	2,481
35	पश्चिम बंगाल	345	-
कुल		1,58,137	36,582